शीर्ष प्राथमिकता / महत्वपूर्ण

संख्या 1100 / 66–2006 181 ए0जी0वी0वी0 / 03 भाग–3

प्रेषक,

पी0के0मिश्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– प्रमुख सचिव / सचिव, लोक निर्माण, पंचायती राज, लघु सिंचाई, ग्राम्य विकास, परिवार कल्याण, राजस्व, बेसिक शिक्षा, समाज कल्याण, महिला कल्याण तथा विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

3– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग लखनऊ : दिनाँक : 25 जुलाई, 06

विषय :– प्रदेश में समग्र ग्राम्य विकास योजना को लागू किया जाना।

महोदय,

उक्त विषयक शासनादेश संख्या 1046 / 66–2006 181 ए0जी0वी0वी0 / 03 भाग–3 दिनाँक 19 जुलाई, 2006 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रत्येक जिला पंचायत सदस्य को उनके निर्वाचन क्षेत्र में एक समग्र ग्राम तथा प्रत्येक ब्लाक प्रमुख को उनके निर्वाचन क्षेत्र में दो समग्र ग्रामों के चयन का अधिकार वर्ष 2006–07 से प्रदान किया गया है।

2– उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला पंचायत सदस्य द्वारा उनके निर्वाचन क्षेत्र में चयनित एक समग्र ग्राम तथा प्रत्येक ब्लाक प्रमुख द्वारा उनके निर्वाचन क्षेत्र में चयनित दो समग्र ग्रामों की सूची दिनाँक 14 अगस्त, 2006 तक तथा उनकी कार्ययोजना प्रत्येक दशा में दिनाँक 21 अगस्त, 2006 तक तैयार कर अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग तथा कार्यदायी विभागों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त समय–सारिणी का कठोरता से अनुपालन किया जाय।

3– चयनित ग्रामों की सूची हेतु प्रारूप – 1 एवं कार्ययोजना तैयार करने हेतु प्रारूप – 2 (परिशिष्ट 1 से 16.5 तक) संलग्न है।

4– उपर्युक्त कार्ययोजना में उल्लिखित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित विभागों तथा जिला प्रशासन की होगी। प्रश्नगत योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों को समस्त कार्यक्रमों से संतृप्त करने के संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेशों के प्राविधान यथावत् लागू होंगे।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीय,
प्रदीप कुमार मिश्र
(पी0के0मिश्रा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या 1100 (1) / तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3– स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4– समस्त संयुक्त / उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से
(राजनाथ)
अनुसचिव।